राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2002/2023

राकेश कुमार मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क–IV/2), सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.08.2023
आदेश की दिनांक : 12.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर डी.पी.सी. मिनट्स दिनांक 27.04.2023 एवं आदेश दिनांक 10.05.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि सहायक शासन सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु बंद लिफाफे को खोला जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सहायक शासन सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु डी.पी.सी. आयोजित की गई, जिसमें कार्मिकों को उक्त पद पर पदोन्नति आदेश जारी किए गए। परंतु अपीलार्थी के संबंध में उक्त पद पर पदोन्नति आदेश यह कहते हुए बंद लिफाफे में रखा गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 252/2019 में अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी गई है। प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इनके संबंध में समिति की अभिशंषा सीलबंद लिफाफे में रखी जाती है। दिनांक 01.04.2023 के अनुसार अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची दिनांक

17.04.2023 में क्रम संख्या 3 पर अंकित है, परंतु जब दिनांक 27.04.2023 को सहायक शासन सचिव के पद पर रिक्ति वर्ष 2023–24 के विरूद्ध डी.पी.सी. आयोजित की गई, जिसमें कुल 57 पद सहायक शासन सचिव के रिक्त हैं, जिसमें से 8 पद एससी वर्ग एवं 6 पद एसटी वर्ग के लिए हैं। अपीलार्थी एसटी वर्ग में वरिष्ठ कार्मिक है और उक्त पद पर पदोन्नति हेतु योग्य है। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति परिणाम को बंद लिफाफे में डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर रखा गया है। उनका कथन है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 12.13 के (i) में *विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किसी भी विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष में पदोन्नति हेतु विचार करते समय पदोन्नति के पात्र राजसेवकों के विरूद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण/दण्डादेश/निलंबन की स्थिति का आकलन उस स्थिति के संदर्भ में किया जायेगा जिस रिक्ति के विरूद्ध राजसेवक पद हेतु विचारार्थ है, अर्थात् राजसेवक जिस रिक्ति के विरूद्ध चयनित होता है उस रिक्ति की उपलब्धता जिस दिवस को होती है, उस दिवस तक की स्थिति में राजसेवक के विरूद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण/दण्डादेश/निलंबन इत्यादि पर विभागीय पदोन्नति समिति को विचार करना होगा।* इसी प्रकार उक्त प्रपत्र के आधार पर माननीय उच्च राजस्थान न्यायालय द्वारा संदीप कुमार बरार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.03.2022 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी कार्मिक का मामला लंबित होने के आधार पर पदोन्नति से वंचित नही किया जा सकता है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी को ट्रेप नहीं किया गया है, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 17A की पालना नहीं की गई है। भारतीय टेलीग्राम अधिनियम 1885 के नियम व भारतीय टेलीग्राम नियम 1951 के नियम 419–ए के द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन संख्या GSR 193(E) date 01.03.2007 के उप नियम (2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति के फोन को अन्तवरोध पर लेने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश की प्रति सात कार्य दिवस के भीतर उक्त नियम 17 में वर्णित रिव्यू कमेटी को प्रेषित करना आवश्यक है, परंतु प्रार्थी के प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। बल्कि कुछ उसके विरूद्ध अन्य आरोप लगाते हुए एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है और मामला लंबित होने के आधार पर पदोन्नति से बाहर नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार माननीय शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा आर. के. सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, हर्ष कुमार शर्मा बनाम पंजाब राज्य, कैलाश चंद बोहरा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एवं संजय शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य खान मोहम्मद

बनाम एवं राजस्थान राज्य एवं अन्य, रवींद्र कुमार यादव बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य आदि मामले लंबित होने के बावजूद भी माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा जाना अनुचित माना है। वर्तमान प्रकरण में एफ.आई.आर अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 22.08.2019 को दर्ज की गयी और उक्त मामला निस्तारण में लगभग 10 से 15 वर्ष लगेंगे। सहायक शासन सचिव के पद पर पदोन्नति हेतू अपीलार्थी नाम पर डीपीसी में विचार किया गया है। परंतु उसका परिणाम उक्त मामला लंबित होने के कारण बंद लिफाफे में रखा गया, जो उक्त नियम एवं विधि के विरूद्ध है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने उक्त मामले के समान तथ्यों पर आधारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जो निम्न प्रकार है :–

1. ***Union of India etc. V/s K.V.Jankiraman etc. on 27.08.1991, 1991 A.I.R. 2010, 1991 SCR(3) 790***
2. ***R.P.Singh V/s Union of India Civil Appeal No. 2605 of 2013 (arising out of SLP (c) No. 16797/2012)***
3. ***Harsh Kumar Sharma V/s State of Punjab & anr Civil Appeal No. 11231-32 of 2016***
4. ***Union of India V/s A.N.mohnan Appeal (Civil) 2020 of 2007***
5. ***S.B.Civil Writ Petition No. 17238/2015 Kailash Chand Bohra V/s State of Rajasthan***
6. ***S.B.Civil Writ Petition No. 15429/2019 Banshi Lal V/s State of Rajasthan***
7. ***S.B.Civil Writ Petition No. 15788/2019 Khan Mohd. V/s State of Rajasthan & Ors.***
8. ***S.B.Civil Writ Petition No. 15499/2019 Ravindra Kumar Yadav V/s State of Rajasthan & Ors.***
9. ***S.B.Civil Writ Petition No. 6433/2021 Gopal Lal V/s State of Rajasthan & Ors.***
10. ***S.B.Civil Writ Petition No. 6690/2021 Brij Mohan V/s Managing Committee & Ors.***
11. ***S.B.Civil Writ Petition No. 11745/2017 Jay Singh Shekhawat V/s State of Rajasthan & Ors.***
12. ***S.B.Civil Writ Petition No. 18074/2018 Sandeep Kumar Barar V/s State of Rajasthan & Ors.***

उपरोक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लंबित मामलों के आधार पर कार्मिकों के पदोन्नतियों को रोका जाना अनुचित

माना है। इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त मामलों के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान किए जाने से वंचित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर डी.पी.सी. मिनट्स दिनांक 27.04.2023 एवं आदेश दिनांक 10.05.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि सहायक शासन सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु बंद लिफाफे को खोला जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज प्रकरण संख्या 252/2019 में अभियोजन स्वीकृति जारी की जा चुकी है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिंदु संख्या 12.4 के अनुसार बंद लिफाफा प्रक्रिया उसी पद के लिए पश्चातवर्ती अवधि में आयोजित होने वाली समस्त विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों में भी अपनाई जाएगी और इस आशय का अंकन कार्यवाही विवरण में अंकित किया जाएगा। जब तक की राज सेवक के विरूद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण निस्तारित नहीं हो जाए/निलंबन से बहाल नहीं कर दिया जाए। अपीलार्थी का पदोन्नति परिणाम बंद लिफाफे में रखा गया है। चयन की यह सिफारिश जो बंद लिफाफे में रखी जाती है वह इस शर्त के साथ होती है कि राज सेवक के विरूद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण में वह दोषमुक्त हो जाए अथवा निलंबन से बहाल हो जाए तो पदोन्नत किया जाए। उक्त परिपत्र के आधार पर पदोन्नति परिणाम बंद लिफाफे में रखा गया है न कि पदोन्नति से वंचित रखा गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अनुभागाधिकारी के पद पर है और वर्तमान में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अनुभागाधिकारी से सहायक शासन सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु डी.पी.सी. आयोजित की गई, जिसमें कार्मिकों को उक्त पद पर पदोन्नति आदेश जारी किए गए। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सहायक शासन सचिव

के पद पर अपीलार्थी की पदोन्नति का परिणाम यह कहते हुए बंद लिफाफे में रखा गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 252/2019 में अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी गई है और प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इनके संबंध में समिति की अभिशंषा सीलबंद लिफाफे में रखी गई है। जहां तक सहायक शासन सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी का परिणाम बंद लिफाफे में रखे जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 252/2019 में अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी गई है। परंतु उक्त मामला का पूर्ण रूप से निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, जो अभी भी माननीय न्यायालय में लंबित है। इस प्रकार अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा जाना हमारे मत में उचित प्रतीत नहीं होता है। राज्य सरकार के द्वारा परिपत्र आदेश दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 12.13 के (i) में *विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किसी भी विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष में पदोन्नति हेतु विचार करते समय पदोन्नति के पात्र राजसेवकों के विरूद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण/दण्डादेश/निलंबन की स्थिति का आकलन उस स्थिति के संदर्भ में किया जायेगा जिस रिक्ति के विरूद्ध राजसेवक पद हेतु विचारार्थ है, अर्थात् राजसेवक जिस रिक्ति के विरूद्ध चयनित होता है उस रिक्ति की उपलब्धता जिस दिवस को होती है, उस दिवस तक की स्थिति में राजसेवक के विरूद्ध लंबित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण/दण्डादेश/निलंबन इत्यादि पर विभागीय पदोन्नति समिति को विचार करना होगा।* इसी प्रकार उपरोक्त मामले के समान तथ्यों पर आधारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जो निम्न प्रकार है :–

1. ***Union of India etc. V/s K.V.Jankiraman etc. on 27.08.1991, 1991 A.I.R. 2010, 1991 SCR(3) 790***
2. ***R.P.Singh V/s Union of India Civil Appeal No. 2605 of 2013 (arising out of SLP (c) No. 16797/2012)***
3. ***Harsh Kumar Sharma V/s State of Punjab & anr Civil Appeal No. 11231-32 of 2016***
4. ***Union of India V/s A.N.mohnan Appeal (Civil) 2020 of 2007***
5. ***S.B.Civil Writ Petition No. 17238/2015 Kailash Chand Bohra V/s State of Rajasthan***

6. ***S.B.Civil Writ Petition No. 15429/2019 Banshi Lal V/s State of Rajasthan***

7. ***S.B.Civil Writ Petition No. 15788/2019 Khan Mohd. V/s State of Rajasthan & Ors.***

8. ***S.B.Civil Writ Petition No. 15499/2019 Ravindra Kumar Yadav V/s State of Rajasthan & Ors.***

9. ***S.B.Civil Writ Petition No. 6433/2021 Gopal Lal V/s State of Rajasthan & Ors.***

10. ***S.B.Civil Writ Petition No. 6690/2021 Brij Mohan V/s Managing Committee & Ors.***

11. ***S.B.Civil Writ Petition No. 11745/2017 Jay Singh Shekhawat V/s State of Rajasthan & Ors.***

12. ***S.B.Civil Writ Petition No. 18074/2018 Sandeep Kumar Barar V/s State of Rajasthan & Ors.***

उपरोक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लंबित मामलों के आधार पर कार्मिकों के पदोन्नतियों को रोका जाना अनुचित माना है। इस प्रकार अपीलार्थी भी उक्त मामलों के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। S.B.Civil Writ Petition No. 18074/2018 Sandeep Kumar Barar V/s State of Rajasthan & Ors. वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2022 को निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"Similar orders passed by the Department in the case of Shri Dinesh M.N., IPS and Shri A. Ponnuchamy, IPS are also reproduced for ready reference :*
>
> *"Shri Dinesh M.N., IPS (RJ:1995), Managing Director, RAJSICO is hereby promoted in the Selectdion Grade (Pay Band-4: Rs. 37400-67000; plus Grade Pay Rs. 8700). Grade of the Deputy Inspector General of Police (Pay Band: Rs. 37400-67000 plus Grade Pay Rs. 8900) and Grade of the Inspector General of Police (Pay Band: Rs. 37400-67000 plus Grade Pay Rs. 10000) of Indian Police Service with effect from 09.05.2014. The said scales/grades are granted subject to the outcome of all pending criminal proceedings against him."*
>
> *"Shri A. Ponnuchamy, IPS (RJ:1991) is hereby promoted in the Grade of Additional Director General of Police (HAG Rs. 67000-79000) of Indian Police Service with effect from 27.10.2016 i.e. date of reinstatement in service subject to the outcome of all pending criminal proceedings against him."*
>
> *In view of the above mentioned orders, it is clear that it has been a regular practice of the Department to promote the police officials subject to the decision of the criminal proceedings pending against*

them. Therefore, on the sole ground of discrimination, the present writ petition of the petitioner deserves to be allowed.

For the reasons discussed above, the writ petition succeeds and is hereby allowed. The respondents are directed to open the sealed cover pertaining to the recommendation of the screening meeting qua the petitioner. If the petitioner has been recommended for promotion, he be accorded promotion which shall be subject to the outcome of the criminal proceedings pending against him. The required orders be passed within a period of one month from the date of receipt of the copy of the present order."

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी भी पदोन्नति पाने का अधिकारी है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार सहायक शासन सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी का परिणाम जो बंद लिफाफे में रखा गया है, उसे खोलकर परिणाम घोषित किया जावे। यदि अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाया जाता है तो उसे उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे और जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को उक्त पदोन्नति का नगद/अवकाश लाभ दिया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी समस्त पदोन्नति पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी की उक्त पद पर पदोन्नति माननीय न्यायालय में लंबित प्रकरण के निर्णयाधीन रहेगी। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य